न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 75/2018 **दायर तारीख :–** 22-10-2018

1. रामेश्वर
2. जगदीश
3. लक्ष्मण

पुत्रान श्योसहाय जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. शंकर
2. महादेव
3. शम्भू
4. सुरेश

पुत्रान गणपत जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. शाखा प्रबंधक ज़े.जे.एस.बी.वी.बी. बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता वादीगण
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 28.07.2021

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तलियारा के खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 1916/0.26, 1917/0.23, 1921/0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। आराजी मुतनाजा में मुताबिक हाल रिकॉर्ड वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 में आपस में सहमति से बैठकर बाहमी बंटवारा अर्सा वर्ष पूर्व कर लिया था। यह है कि वादीगण के हिस्से में हिस्सा 1/2 भूमि आती है यानि कुल भूमि 0.3950 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से अनुसार भूमि है वादीगण के बाहमी बंटवारे में खसरा नंबर 1921/0.30 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्राप्त हुई है तथा हिस्से अनुसार शेष भूमि 0.095 हैक्टेयर भूमि वादीगण को खसरा नंबर 1916, 1917 में से पूर्व दिशा की तरफ का भाग उत्तर दक्षिण लम्बत नाप कर काट दी गई थी, जो वादीगण की अन्य भूमि के लगते हुए भी है अर्थात वादीगण के हिस्से 1/2 की भूमि 0.3950 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार पूरी कर दी गई है जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर अपना गुजर बसर कर रहे है। इसी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रकार प्रतिवादीगण का भी उक्त मुतनाजा में हिस्सा 1/2 यानि 0.3950 हैक्टेयर का है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भी अपने सहमति बाहमी बंटवारा अनुसार अपने सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खसरा नंबर 1916 तथा 1917 के वादीगण का 0.0950 हैक्टेयर भाग छोडकर पश्चिम दिशा की तरफ वाला सम्पूर्ण भाग जो मौके पर भी मुताबिक रिकॉर्ड हिस्सा 1/2 यानि 0.3950 हैक्टेयर है पर काबिज काश्त होकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी सुविधा अनुसार सरस–नरस के हिसाब से आपसी सहमति से मौके पर मुताबिक रिकॉर्ड हिस्से अनुसार बाहमी बंटबारा कर लिया है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक कोई विधिक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है कानूनन उक्त बाहमी बंटवारा को कानूनी रूप देने के लिए न्यायालय हाजा द्वारा डिक्री आदेश करवाना आवश्यक हुआ। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा डिक्री हो जाने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य भविष में किसी भी प्रकार का कोई विवाद आदि पैदा नहीं होगा ना ही कोई झगडा फसाद होगा तथा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अनावश्यक मुकदमें बाजी से बचे रहेगें। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम तलियारा पटवार हल्का बागावास अहीरान तहसील विराटनगर के खसरा नंबर 1921/0.30, 1916 के पूर्वी भाग की तरफ से काटते हुए करीब 0.04 हैक्टेयर का बटा नंबर कर तथा खसरा नंबर 1917 के पूर्वी भाग की तरफ से करीब 0.055 हैक्टेयर को काट कर बटा नंबर बनाकर तीनों हिंस्सों में रकबा 0.3950 हैक्टेयर पूरा कर वादीगण के नाम पृथक से खातेदार घोषित करने तथा बंटवारे से प्राप्त बटा नंबर का रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम आदेश फरमाकर पर्चा पास बुक पृथक से जारी कर पृथक से खातेदार घोषित करने को डिक्री आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज काश्त एवं नजरी नक्शा अनुसार भूमि 0.3950 हैक्टेयर का खसरा नंबर 1916/0.26 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा कम कर तथा खसरा नंबर 1917/0.23 हैक्टेयर में वादीगण की भूमि कम कर शेष दोनों खसरों का रकबा 0.3950 हैक्टेयर का स्थापित करते हुए पृथक से रिकॉर्ड खातेदार घोषित कर नजरी नक्शा में उपयुक्त तरतीम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने तथा पर्चा पास बुक भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से पृकि से जारी करने का आदेश फरमावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम तलियारा खाता संख्या 135 संवत् 2073–2076, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तलियारा आदि पेश किए गये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 13.06.2019 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम तलियारा के खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 1916/0.26, 1917/0.23, 1921/0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील उभयपक्ष के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में बनाया गया है। उक्त खसरा नंबरों में दोनों पक्षों को रास्ते की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की भूमि हेतू मौके पर पहूंच रासता मौजूद है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।
8. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. जगदीश पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैंक, शाहपुरा 2. रामेश्वर पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह राहिन केनरा बैंक शाखा पावटा 3. लक्ष्मण पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार	1921/0.30, 1916/1/0.0475, 1917/1/0.0475 हैक्टेयर
2	1. महादेव पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 2. शंकर पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 3. शिम्भू पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 4. सुरेश पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह	1916/0.2125, 1917/0.1825 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. रामेश्वर
2. जगदीश
3. लक्ष्मण

पुत्रान श्योसहाय जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. शंकर
2. महादेव
3. शम्भू
4. सुरेश

पुत्रान गणपत जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. शाखा प्रबंधक जे.जे.एस.बी.वी.बी. बैंक शाखा शाहपुरा जिला ज़यपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 75/2018 **दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता वादीगण** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तलियारा पटवार हल्का बागावास अहीरान तहसील विराटनगर के खसरा नंबर 1921/0.30, 1916 के पूर्वी भाग की तरफ से काटते हुए करीब 0.04 हैक्टेयर का बटा नंबर कर तथा खसरा नंबर 1917 के पूर्वी भाग की तरफ से करीब 0.055 हैक्टेयर को काट कर बटा नंबर बनाकर तीनों हिस्सों में रकबा 0.3950 हैक्टेयर पूरा कर वादीगण के नाम पृथक से खातेदार घोषित करने तथा बंटवारे से प्राप्त बटा नंबर का रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम आदेश फरमाकर पर्चा पास बुक पृथक से जारी कर पृथक से खातेदार घोषित करने को डिक्री आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज काश्त एवं नजरी नक्शा अनुसार भूमि 0.3950 हैक्टेयर का खसरा नंबर 1916/0.26 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा कम कर तथा खसरा नंबर 1917/0.23 हैक्टेयर में वादीगण की भूमि कम कर शेष दोनों खसरों का रकबा 0.3950 हैक्टेयर का स्थापित करते हुए पृथक से रिकॉर्ड खातेदार घोषित कर नजरी नक्शा में उपयुक्त तरतीम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने तथा पर्चा पास बुक भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत '4' के नाम से पृकि से जारी करने का आदेश फरमावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग—उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. जगदीश पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैंक, शाहपुरा 2. रामेश्वर पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह राहिन केनरा बैंक शाखा पावटा 3. लक्ष्मण पिता श्योसहाय हिस्सा 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार	1921/0.30, 1916/1/0.0475, 1917/1/0.0475 हैक्टेयर
2	1. महादेव पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 2. शंकर पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 3. शिम्भू पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह 4. सुरेश पिता गणपत हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह	1916/0.2125, 1917/0.1825 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुवलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2021 को जारी की गई।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)